न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

आवेदन संख्याः—2023 / 6 दर्ज तिथिः—11.01.2023

1. जगराम पुत्र फोजा
2. भाखरा पुत्र फोजा
3. नैना पुत्र फोजा
4. लाधु पुत्र हीरा
5. भूरा पुत्र हीरा
6. रामकिशन पुत्र हीरा
7. किशना पुत्र हीरा
8. कमला पत्नी लाधु
9. राजु पुत्र नाथा

जाति विश्नोई निवासी मिसरी बेरी,लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरता पुत्र धर्मा के फौत के कायम मुकाम
   1 / 1 हनुमानराम पुत्र सुरताराम
   1 / 2 राजुराम पुत्र सुरताराम
   1 / 3 मिरगों पत्नी सुरताराम
2. श्रीराम पुत्र धर्मा
3. भारमल पुत्र धर्मा
4. भीखा पुत्र धर्मा
5. पांचा पुत्र धर्मा
6. जगराम पुत्र चैना
7. कालू पुत्र चैना
8. वरींगा पुत्र गोरखा
9. हुकमा पुत्र गोरखा
10. हापू पुत्र हरींगा
11. अणसी पत्नी हरींगा

जाति विश्नोई निवासी मिसरी की बेरी लूखू तहसील धोरीमन्ना

................असल विप्रार्थीगण

12. तहसीलदार धोरीमन्ना ....तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीगणः–एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–07.02.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–कराजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 439/2/1.6997 है0 वाके ग्राम मिसरी की बेरी, पटवार मंडल लुखु ,तहसील धोरीमन्ना में अवस्थित है। उक्त खसरा संख्या में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः खसरा संख्या 439/2 में जाने हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 439/0.4371 है0 व 439/9/8.9031 है0 वाके ग्राम मिसरी की बेरी,लूखू तहसील धोरीमना से रास्ता प्रस्तावित कर चाहा गया है। खसरा संख्या 439/0.4371 है0 पूर्व में सामलाती रूप से रास्ते हेतु छोड़ी हुई है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 6 मीटर चौडाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामील हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 10.12.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई।

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना–पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.** - (1) Where -*

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

*(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is grantedor in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant **preferably** having the same price and adjoining to his land.*

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

***68. Application under Sec. 251-A.** - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

***69. Enquiry and disposal of application.** - On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the*

parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

    1. *प्रार्थी की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
    2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
    3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955, के नियम 68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के

तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या—2 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 439/2/1.6997 है0 वाके ग्राम मिसरी की बेरी, पटवार मंडल लुखु ,तहसील धोरीमन्ना तक पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 अनुसार रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात तृतीय शर्त बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का **<u>लघुत्तम मार्ग</u>**रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

8. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खातेदारी आराजी 439/2/1.6997 है0 वाके ग्राम मिसरी की बेरी, पटवार मंडल लुखु ,तहसील धोरीमन्ना में पहुँच के प्रयोजन के लिए रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 439/0.4371 है0 व 439/9/8.9031 है0 वाके ग्राम मिसरी की बेरी,लूखू तहसील धोरीमना में से होकर करीब 350 मीटर लंबाई तथा 6 मीटर चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है।साथ ही प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 439 व 439/9 में वाके ग्राम मिसरी की बेरी से होकर लघुत्तम मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 के अवलोकन अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित तथा तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 में अंकित रास्ता का मार्ग ही लघुत्तम मार्ग प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित लघुतम मार्ग रास्ते का नक्शा

निम्नानुसार है–

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

दिनांक : 22/11/2024 02:29:25 PM

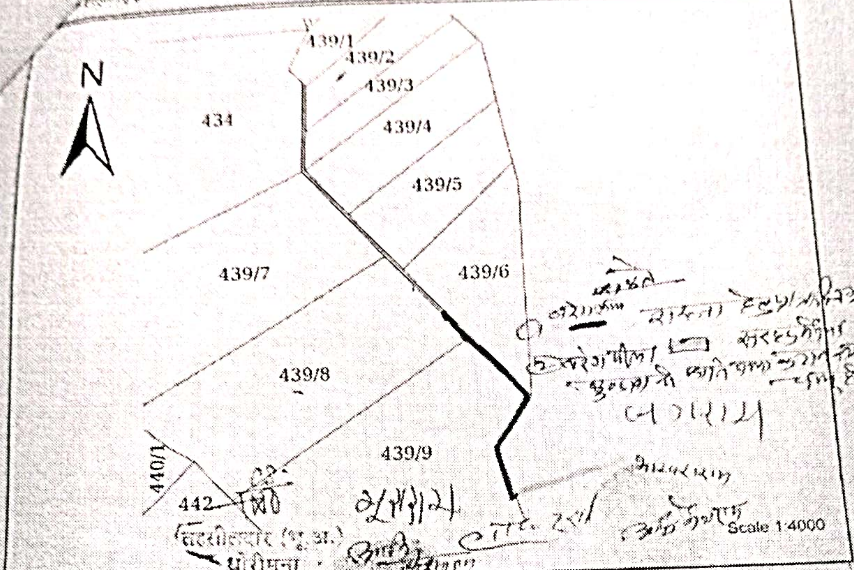

खसरा संख्या :439 क्षेत्रफल : 0.4371 Hectare खाता संख्या :26 पुराना खाता संख्या :22

भूमि किस्म(क्षेत्रफल लगान): बा.सांयम [0.4371, 0.13]

1.) अणसी पत्नि हरीगा हस्सिा- 1/18 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार हस्सिा-1/18 (पूरण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना

10.) भारमल पुत्र धरमाराम हस्सिा- 1/30 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार

11.) भीखा पुत्र धरमाराम हस्सिा- 1/30 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार

12.) मीरगा पत्नि सुरताराम हस्सिा- 1/90 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार हस्सिा-1/90 (पूरण खाता) भूमि विकास बैंक शाखा धोरीमन्ना

13.) राजू राम पुत्र सुरताराम हस्सिा- 1/90 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार हस्सिा-1/90 (पूरण खाता) भूमि विकास बैंक शाखा धोरीमन्ना

14.) राजूराम पुत्र नोधाराम हस्सिा- 1/9 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार

15.) रामकशिन पुत्र हरिराम हस्सिा- 959/46026 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार

16.) लाधुराम पुत्र हरिराम हस्सिा- 959/46026 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार हस्सिा-959/46026 (पूरण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा धोरीमन्ना

17.) बरींगा पुत्र गोरखा हस्सिा- 1/9 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार हस्सिा-1/9 (पूरण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा धोरीमन्ना

18.) श्री राम पुत्र धरमाराम हस्सिा- 1/30 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार

19.) हुकमा पुत्र गोरखा हस्सिा- 1/9 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार

2.) कमलादेवी पत्नि लाधुराम हस्सिा- 71/2557 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार

20.) हनुमाना राम पुत्र सुरताराम हस्सिा- 1/90 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार हस्सिा-1/90 (पूरण खाता) भूमि विकास बैंक शाखा धोरीमन्ना

21.) हापू पुत्र हरींगा हस्सिा- 1/18 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार हस्सिा-1/18 (पूरण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना

3.) कशिनाराम पुत्र हरिराम हस्सिा- 959/46026 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार

4.) चैना पुत्र नारणाराम हस्सिा- 1/6 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार

5.) जगराम पुत्र फौजा हस्सिा- 1/27 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार हस्सिा-1/27 (पूरण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा धोरीमन्ना

6.) नैना पुत्र फौजा हस्सिा- 1/27 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार

7.) पाचाराम पुत्र धरमाराम हस्सिा- 1/30 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार

8.) भुराराम पुत्र हरिराम हस्सिा- 959/46026 जाति- वश्निोई सा. देह खातेदार हस्सिा-

9. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काविल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक कोर्ट. / आरए / 2024 / 3050 दिनांक 10.12.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी हाल खसरा संख्या 439 / 2 / 1.6797 है0 वाके ग्राम मिसरी की बेरी पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना तक अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 439 / 0.4371 है0 व 439 / 9 / 8.9031 है0 में वाके ग्राम मिसरी की बेरी पटवार

मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना की तरफ के सेढे–सेढ नवीन रास्ता प्रस्तावित वरंग लाल रंग से अंकित लघुत्तम मार्ग बतौर 6मीटर चौडा गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार धोरीमन्ना की दिनांक 10. 12.2024 प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शाके अवलोकन पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार धोरीमन्नाको आदेश दिये जाते है कि दिनांक 10.12.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट में प्रार्थी हाल खसरा संख्या 439 / 2 / 1.6797 है0 वाके ग्राम मिसरी की बेरी पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना तक अप्रार्थीगण की खातेदारी *आराजी हाल खसरा संख्या क्रमषः* 439 / 0.4371 है0 व 439 / 9 / 8.9031 है0 में वाके ग्राम मिसरी की बेरी पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना *में अंकित प्रस्ताव में इंगित बरंग लाल रंग से प्रदर्शित लम्बाई 350 मीटर एवं 6मीटर चौडाई के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि अथवाप्रार्थी द्वारा उक्त नवीन रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान अवस्थिति पर समान रकबे की भूमि का विकल्प के आधार पर नियमानुसार उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें।दिनांक 10.12.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 84 / 2020 अनवान केशाराम बनाम गंगाराम में जारी अंतरिम स्थगन उक्त निर्णय की पालना हेतु प्रभावी नहीं रहेगां।*

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

7/2/2025

(भागीरथरामआर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमन्ना